

मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-दिसम्बर, 1999 सत्र

विभिन्न कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 28 अक्टूबर, 1999 (कार्तिक 8, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्कल: वितरित सूची में समिलित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिये जाएंगे।

2. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

3. नियम 138 (1) के अधीन घान आकर्षण

(1) श्री लक्ष्मीकृत शर्मा, सदस्य, विद्या वन मण्डल अन्तर्गत वनों की अवैध कटाई कर वन भूमि पर कठजा कराये जाने की ओर वन मंत्री वग घान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री वग्मल पटेल, लक्ष्मण सिंह गीड़, लक्ष्मीकृत शर्मा, सदस्य, राजनीतिकाव जिले के छुरिया धाने को नक्सलवादियों द्वारा लूटे जाने की घटित घटना की ओर यह मंत्री का घान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति परं श्वीकृति

श्री के.पी.सिंह "कमज़ोज़ू", सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिलि का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे : -

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिलि के तृतीय प्रतिवेदन से सहमत है"।

5. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 141-राजम से निर्वाचित सदस्य, श्री श्यामाचरण शुक्ल तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 245-भीजपुर से निर्वाचित सदस्य, श्री सुन्दरलाल पटेल द्वारा विधान सभा में अपने स्थान का त्याग करने की सूचना।

6. सभापति तालिका की घोषणा

7. लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

श्री अवाण कुमार पटेल, लोक निर्माण मंत्री, दिनांक 15 मार्च, 1999 को पूछे गये परिवर्तित अंतर्वाकित प्रश्न संख्या 150 (क्रमांक 6519) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे।

8. शासकीय विधि विधयक कार्य

(1) डॉ. प्रेमसाय लिह, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भूमि प्रबन्धन विधेयक, 1999 (क्रमांक 30 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) श्री लिखीराम काले, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरव्हाइकल विधेयक, 1999 (क्रमांक 31 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(3) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यक कर मंत्री, भारतीय स्टार्ट (मध्यप्रदेश लंशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 32 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

9. संकल्प

डॉ. प्रेमसाय लिह, राजस्व मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे : -

"यह सदन इस वर्ष माह सितम्बर में प्राकृतिक आपदाओं में अपने प्राण विसर्जित करने वाले मध्यप्रदेश राज्य के नागरिकों को अद्वितीय अर्थित करते हुए लाखों प्रभावितों के प्रति संवेदन प्रकट करता है।

यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि प्रतेश में आई बाद, अतिवृष्टि, भू-स्वल्पन तथा सूखे की स्थिति से उत्पन्न विभीषिका लैंगिकार नागरिकों और विस्तारान्तर की राहत एवं पुनर्वास आयों के लिए राष्ट्रीय आपदा विधि से राज्य सरकार की उसके द्वारा इस संदर्भ में भेजे गये दो जापनी की अपेक्षानुसार क्रमांक: 195.27 व 361.61 करोड़ की धन राशि तत्काल उदारतापूर्वक उपलब्ध कराये।"